राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, दूरभाष नम्बर 0141–5196323, 5196335

क्रमांक एफ 13 (1)( )WE/WSHGI/प्रियदर्शिनी/12–13 / 1572 जयपुर दिनांक 15-1-13

'प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना वर्ष 2012–13

परिपत्र

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2009–10 की अनुपालना में प्रारंभ की गई **प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना** की कियान्विति निरंतर रूप से की जानी है। इस योजना को वर्ष **2012–13** में क्रियान्विति करने हेतु दो भागों में विभक्त किया गया है।

प्रथम भाग–

योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले में दस समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श SHG के रूप में विकसित किया जाएगा। ये आदर्श समूह SHG कार्यक्रम संचालन के लिए निर्धारित सभी प्रकिया एवं मानदण्डों को पूरा करते हुए क्षेत्र में संचालित अन्य समूहों के लिए एक आदर्श प्रतीक एवं प्रेरणा का कार्य करेंगे एवं इन्हें देख कर अन्य समूह भी अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित कर सकेंगे। इस संदर्भ में राज्य के प्रत्येक जिले से दस स्वयं सहायता समूहों को **प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूहों** के रूप में विकसित किया जाएगा।

- **प्रियदर्शिनी आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह हेतु समूहों का चिन्हिकरण–**

इस हेतु प्रत्येक जिले में सम्बन्धित उपनिदेशक द्वारा दस महिला स्वयं सहायता समूहों का प्रियदर्शिनी आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह हेतु चयन किया जाएगा। SHG चयन के लिए निम्न मापदण्ड रखे जाने प्रस्तावित है–

1. समूह कम से कम एक वर्ष पुराना हो।
2. चयनित समूह के पदाधिकारी शिक्षित हों।
3. समूह का बैंक में खाता खुल चुका हो।
4. समूह के आधे से अधिक सदस्य आन्तरिक लेन–देन में संलग्न हों।
5. समूह द्वारा कम से कम एक बार ऋण प्राप्त कर लिया हो।

चूंकि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का मुख्य ध्येय महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाना है। अतः उपनिदेशकों द्वारा प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूहों हेतु प्राथमिकता से एक जैसी आयजनक गतिविधि वाले एवं एक ही क्षेत्र के आस–पास के समूहों को चिन्हित किया जाए, ताकि इन प्रियदर्शिनी आदर्श महिला स्वयं सहायता समूहों को एक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा सके।

समस्त जिलों मे उक्त मानदण्डों के अनुसार SHGs चिन्हिकरण हेतु उपनिदेशक, मबावि द्वारा जिले के समस्त CDPOs को आवश्यक निर्देश दिये जाएंगे तथा जिले के CDPOs द्वारा चिन्हित SHGs के संबंध में उपनिदेशक कार्यालय को निम्न प्रपत्र में सूचना प्रेषित की जाएगी तथा इन प्रस्तावों का जिला स्तर पर परीक्षण किया जाकर प्रत्येक जिले से अंतिम रूप से चिन्हित 10 स्वयं सहायता समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह बनाये जाने हेतु निदेशालय को निम्न प्रपत्र में ही प्रस्तावित कर दिया जाएगा–

नाम समूह	ग्राम/ब्लाक/जिला	समूह गठन दिनांक	नाम पदाधिकारी एवं उनकी शिक्षा
1	2	3	4
बैंक एवं उसकी शाखा का नाम, जहां समूह का बचत खाता खोला गया हो		आंतरिक लेन–देन कर रहे समूहो के सदस्यों की संख्या	समूह द्वारा कितनी बार बैंक ऋण लिया गया है
5		6	7

यह ध्यान रहे कि इस योजना अंतर्गत जिन ब्लॉक में 10 समूहों का चयन पिछले वर्षो में किया जा चुका है, इस वर्ष उन ब्लॉक्स में 10 समूहों का चयन नहीं किया जाकर जिले के किसी अन्य ब्लॉक में चयन किया जायेगा।

- **स्वयंसेवी संगठनों (NGOs) का चयन–**

प्रत्येक जिले पर चिन्हित 10 स्वयं सहायता समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह तक ले जाने का कार्य स्वयं सेवी संगठनों (NGO) के माध्यम से कराया जाएगा। इन स्वयंसेवी संगठनों का चयन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन मांगे जाने संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर किया जाएगा। इस कार्य हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संगठनों को अपने आवेदन आयुक्त महिला अधिकारिता, झालाना–जयपुर में प्रस्तुत करने होंगे तथा आवेदन पत्र के साथ आयुक्त महिला अधिकारिता, जयपुर को देय 500 रू. का बैंक डी.डी. संलग्न करना होगा।

इन स्वयंसेवी संगठनों की पात्रता निम्न होगी–

1. गत तीन वर्ष से लगातार कार्य का अनुभव।
2. स्वंय सहायता समूह कार्यक्रम एवम माइक्रोफांइनेन्स का अनुभव
3. क्षमता वर्धन, कौशल उन्नयन एवं उद्यम विकास प्रशिक्षण का अनुभव
4. उत्पादन निर्माण एवं विपणन आदि क्षेत्रों में कार्य करने का लम्बा अनुभव हो।
5. पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम रू 10 लाख का टर्न ओवर

स्वयंसेवी संगठनों के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर निम्नलिखित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा–

1 आयुक्त महिला अधिकारिता
2 अति.निदेशक SHG
3 नाबार्ड प्रतिनिधि
4 उपनिदेशक SHG
5 कार्यक्रम अधिकारी मार्केटिग
6 कार्यक्रम अधिकारी रिसर्च
7 कार्यक्रम अधिकारी SHG
8 सहायक लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता

उक्त समिति द्वारा संस्था के प्रस्ताव एवं संपादित की गई गतिविधियों का विस्तृत विवेचन कर श्रेष्ट NGOs का चयन किया जाएगा। आवश्यकता होने पर NGOs द्वारा अपने प्रस्ताव को पावर पोइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

इस प्रकार राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयनित NGOs के माध्यम से जिलों में चिन्हित स्वयं सहायता समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह तक ले जाने हेतु आमुखीकरण, प्रबंधकीय क्षमता, उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन, आयजनक तथा मार्केट लिंकेज संबधी प्रशिक्षण आयोजित करवाये जाकर इन समूहों को क्लस्टर के रूप में स्थापित किया जाएगा। NGO के कार्य का निरतंर सुपरविजन जिला/ब्लाक स्तर के विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

- **चिन्हित समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह घोषित किये जाने संबंधी सूचक (आउटकम)–**

उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिले में चिन्हित 10 SHGs को चयनित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से निम्न सूचकों को प्राप्त करने की स्थिति में संबंधित उपनिदेशक से स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त होने पर ही उस समूह को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह घोषित किया जाएगा –

1 समूह की नियमित मासिक बैठक होने लगी हैं।
2 समूह बैठक में बचत–ऋण के साथ–साथ सामाजित मुददों पर भी चर्चा होने लगी है।
3 समूह का नियमित रिकार्ड संधारण हो रहा है।
4 समूह द्वारा नियमित रूप से बचत की जा रही है।
5 समूह द्वारा नियमित रूप से आंतरिक लेन–देन किया जा रहा है।
6 समूह द्वारा अपने ऋण का निर्धारित अवधि में 100 प्रतिशत पुर्नभुगतान कर दिया गया है।
7 समूह स्थायी रूप से आयजनक गतिविधियों में संलग्न हो गया है।
8 समूह के कम से कम 60% सदस्यों की न्यूनतम आय 1100 रू/– प्रतिमाह होने लगी है।

- **स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के संबंध में व्यय सीमा**

स्वंयसेवी संगठनो द्वारा उक्त कार्य के लिए प्रति SHG के रूप में निम्नानुसार व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।–

गतिविधि	**व्यय सीमा (प्रति SHG)**
1 योजना आमुखीकरण प्रशिक्षण (दो दिवसीय)	– 2000
2. प्रबंधकीय क्षमता (तीन दिवसीय)	– 3000
3. उधमिता विकास एवं जागरूकता प्रशिक्षण (5दिवसीय)	– 7000
4. आयजनक गतिविधि एवं गुणवता उन्नयन प्रशिक्षण (1 माह)	– 20000
5 मार्केटिंग प्रशिक्षण एवं मार्केट लिंकेज	– 3000
कुल राशि	**– 35000 प्रति प्रियदर्शिनी आदर्श SHG**
कुल राशि प्रति जिला (35000 x 10)	– 350000 रू

- **स्वंयसेवी संगठनो को उनके कार्य का भुगतान निम्न चरणों में किया जाएगा–**
  - अनुबंध राशि का 10% कार्य आरंभ करने पर।
  - अनुबंध राशि का 30% समूह को आमुखीकरण एवं प्रबंधकीय क्षमता प्रशिक्षण करवाने पर।
  - अनुबंध राशि का 30% उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन तथा आयजनक प्रशिक्षण करवाने पर।
  - अनुबंध राशि का 30% समूह को स्थायी स्वरोजगार से जुडकर समूह के कम से कम 60% सदस्यों द्वारा न्यूनतम 1100 रू प्रतिमाह आय अर्जन कराने की स्थिति तक लाने एवं क्लस्टर विकसित करने पर।

नोट–

1. संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्य का समय–समय पर जिले के अधिकारियों एवं निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। कार्य संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न होने के बाद ही जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा संस्था को भुगतान किया जावेगा।
2. अन्तिम किश्त जारी करने से पूर्व प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित हो गया हैं, इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपनिदेशक, मबावि/कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा दिया जायेगा।
3. स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किये गये कार्यो के भुगतान हेतु राशी क्लेम करने के लिए उपरोक्त चरण अनुसार विस्तृत प्रशिक्षण रिपोर्ट (प्रशिक्षण की तिथि, प्रशिक्षण स्थान, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणर्थियों की सूची, प्रशिक्षण का प्रतिदिन प्रतिवेदन, प्रशिक्षण फोटोग्राफ्स एवं समाचार पत्रों की कटिंग) संबंधित उपनिदेशक, मबावि/कार्यक्रम अधिकारी,म.अ.को बाउचर्स सहित प्रस्तुत करने होगे।

आवेदन करने की पद्धति–

2. निदेशालय द्वारा संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर दी गई हैं। संस्था द्वारा जिस जिले में प्रशिक्षण प्रस्तावित हैं, उस जिले के लिये आवेदन पत्र के साथ आयुक्त महिला अधिकारिता, जयपुर को देय रू. 500/का डी.डी. संलग्न कर आयुक्त महिला अधिकारिता, झालाना, जयपुर में जमा कराना होगा।

- **प्रियदर्शिनी आदर्श SHG को नकद पुरस्कार–**

उपरोक्तानुसार समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श SHG के रूप में विकसित करने के पश्चात ऐसे प्रत्येक प्रियदर्शिनी आदर्श SHG को रू 25000 की राशि नकद पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। यह राशि समूह के खाते में जमा कराई जाएगी एवं इस राशि का उपयोग समूहों द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा–

- समूह सदस्यों द्वारा आयजनक गतिविधि प्रारंभ करने की स्थिति में कच्चा माल क्रय करने एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए रू 20000 रिवाल्विंग फंड के रूप में उपयोग किये जा सकेंगे, किंतु समूह द्वारा यह राशि कुछ समय पश्चात पुनः उसके खाते में जमा करानी होगी।
- शेष रू 5000 की राशि का उपयोग समूह द्वारा अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं यथा समूह की बैठक व्यवस्थाओं, बैंक के अन्य स्थान पर होने की स्थिति में सदस्यों के आने–जाने का किराया आदि के उपयोग हेतु किया जा सकेगा।

समूहों की उपरोक्त अहर्ताओं का परीक्षण राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के माध्यम से किया जाकर उन्हें नकद पुरस्कार का पात्र माना जाएगा।

प्रियदर्शिनी आदर्श SHG पुरस्कार समूह द्वारा पूर्ण स्थायित्व प्राप्त करने एवं स्थायी स्वरोजगार गतिविधि से जुड जाने की स्थिति में इस वर्ष अथवा आगामी वर्ष में ही देय होगा।

इस प्रकार इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में 330 समूहों को स्थायित्व प्रदान किया जाकर लगभग 3300 महिलाओं को स्वरोजगार से जोडा जा सकेगा।

आयुक्त, म.अ. एवं
शासन सचिव, मबावि
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 13 (1)( )WE/WSHGI/प्रियदर्शिनी/11–12/1572–708 दिनांक 15-1-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त, म.अ. एवं शासन सचिव, मबावि, जयपुर
3. जिला कलक्टर समस्त
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
5. मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर
6. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त
7. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, समस्त

अति. निदेशक, SHG

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ.13(1)()WE/WSHGI/प्रियदर्शनी/12–13/1269 जयपुर, दिनांक 10-1-13

आदेश

प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना वर्ष 2012–13 के क्रम में निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक एफ.13(1)()WE/WSHGI/प्रियदर्शनी/12–13/28148–284 दिनांक 30.05.2012 में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। उक्त परिपत्र दिनांक 30.5.12 के बिन्दु "नोट" के **बिन्दु संख्या–1** में पूर्व के प्रावधान **"कार्य संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न होने के प्रमाण के बाद ही निदेशालय द्वारा संस्था को भुगतान किया जावेगा"** के स्थान पर **"कार्य संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न होने के प्रमाणन के बाद ही जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा संस्था को भुगतान किया जावेगा"** प्रावधान किया जाता है। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आयुक्त म.अ. एवं
शासन सचिव, मबावि
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.13(1)()WE/WSHGI/प्रियदर्शनी/12–13/1270-407 जयपुर, दिनांक 10-1-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
2 निजि सहायक, आयुक्त, म.अ. एवं शासन सचिव, मबावि, जयपुर।
3 जिला कलक्टर, समस्त।
4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
5 मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
6 उपनिदेशक, मबावि, समस्त।
7 सहायक लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
8 कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, समस्त।
9 प्रोग्रामर, आई.सी.डी.एस. को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10 आदेश पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक, SHG
महिला अधिकारिता,
राज.,जयपुर

D:\Letter\jan-13.doc

सहायता अनुदान हेतु बन्ध पत्र
[नियम–280(5)(i)]

1. आज दिनांक ..... माह ..... सन्..... को एक पक्ष के ..... (इसमें इसे आगे 'अनुदानगृहीता' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो, उसके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक एवं प्रशासक शामिल होगे) तथा राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे 'राज्यपाल' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां सन्दर्भ द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, उनके पद के उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती शामिल होगे) द्वितीय पक्ष के बीच एक बन्ध–पत्र निष्पादित किया गया।

2. चूंकि राज्य सरकार ने (अनुदानगृहीता) (गारन्टी) ..... को रू. ..... (रूपये ....मात्र) अनुदान सहायता के रूप में देने का निर्णय किया है, तथा इसकी उचित रसीद प्राप्त हो गई है।

3. एवं चूंकि (अनुदानगृहीता) ..... राज्य सरकार को विश्वसनीय व्यक्तियों की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेगा।

4. और अब (अनुदानगृहीता) ..... एवं जामिन स्वीकृति संख्या..... दिनांक ..... में विनिर्दिष्ट अनुदान की शर्तो का निम्न प्रकार पूर्णतया पालन करेगे:–

   i. अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकार किया गया है;

   ii. उसमे विनिर्दिष्ट लक्षित तारीखों की अनुपालना की जावेगी; (संलग्न)

iii. अव्ययित राशि, जिस कार्य के लिये अनुदान दिया गया है, उसके पूर्ण होने के बाद की अवधि में प्रतिदत्त कर दी जायेगी ..... या अव्ययित शेष राशि को इस कार्य के लिये अगला अनुदान, यदि कोई हो, मंजूर करते समय समायोजित किया जायेगा;

iv. और भी चूंकि (अनुदानगृहीता) ..... एवं जामिन पृथक एवं संयुक्त रूप से अनुदान के सम्पूर्ण राशि का एवं उस पर के ब्याज का अथवा ..... रूपये की राशि का प्रतिदाय राज्य सरकार को करने के लिये दायी होंगे।

5. चूंकि अनुमोदित सेवाप्रदाता (अनुदानगृहीता) राजस्थान राज्य के आयुक्त, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग को उनके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी निम्नानुसार कार्यो/सेवा, विज्ञप्ति अनुसार इसमें वर्णित की गयी सभी सेवाओं को विज्ञप्ति की शर्तो में दिए गए तरीके से सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार से सहमत हो गया है –

i. चूंकि अनुबन्धकर्ता प्रथम पक्षकार को जिले में चिन्हित 10 SHG's को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक समूहों को निम्न सूचकों तक ले जाया जाना अपेक्षित है –

A. समूह की नियमित मासिक बैठक होने लगी है।

B. समूह बैठक में बचत–ऋण के साथ–साथ सामाजित मुददों पर भी चर्चा होने लगी है।

C. समूह का नियमित रिकार्ड संधारण हो रहा है।

D. समूह द्वारा नियमित रूप से बचत की जा रही है।

E. समूह द्वारा नियमित रूप से आंतरिक लेन–देन किया जा रहा है।

F. समूह द्वारा अपने ऋण का निर्धारित अवधि में 100 प्रतिशत पुर्नभुगतान कर दिया गया है।

G. समूह स्थायी रूप से आयजनक गतिविधियों में संलग्न हो गया है।

H. समूह के कम से कम 60 प्रतिशत सदस्यों की न्यूनतम आय 1100/– रूपये प्रतिमाह होने लगी है।

6. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :–

(1) विज्ञप्ति में दी गई दरों पर महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सेवाप्रदाता (अनुदानगृहीता) .....
को ..... जिले में तथा विज्ञापन की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त सेवा उपलब्ध कराएगा।

(2) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित सेवाप्रदाता उक्त कार्यो को उपर्युक्त तरीके से विधिवत् करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार (आयुक्त, महिला अधिकारिता) के माध्यम से अनुमोदित सेवाप्रदाता को उक्त शर्तो में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक कार्य के लिए देय राशि का निम्न समय सारणी के अनुसार कार्य करने पर उसके सामने अंकित राशि का भुगतान करेगी तथा भुगतान कराएगी।

7. स्वयं सहायता समूहों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण व अन्य कार्यो हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है –

i.	2 दिवसीय आमुखीकरण एवं	
	3दिवसीय प्रबंधकीय क्षमता वर्द्धन प्रशिक्षण	– फरवरी ,2013 तक
	5 दिवसीय उद्यमिता विकास	– मार्च, 2013 तक
ii.	एक माह का आयजनक गतिविधि एवं	
	गुणवत्ता उन्नयन प्रशिक्षण	– अप्रैल–मई, 2013 तक
iii.	मार्केट लिंकेज प्रशिक्षण व अन्य कार्य तथा	
	समूहों को कलस्टर के रूप में स्थापित	– जून, 2013 तक
	समूहों के न्यूनतम 60 प्रतिशत सदस्यों द्वारा	– दिसम्बर, 2013 तक
	1100 रू. आय अर्जन	

8. राशि हस्तान्तरण संतोषप्रद प्रगति के पश्चात् निम्नानुसार होगी –

    1. अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत कार्य आंरभ करने पर
    2. अनुबंध राशि का 30 प्रतिशत समूहों को दो दिवसीय SHG आमुखीकरण एवं तीन दिवसीय SHG प्रबंधकीय क्षमता प्रशिक्षण करवाने पर
    3. अनुबंध राशि का 30 प्रतिशत पांच दिवसीय उद्धमिता विकास तथा एक माह का आयजनक गतिविधि एवं गुणवत्ता उन्नयन प्रशिक्षण कराने पर
    4. अनुबंध राशि का 30 प्रतिशत समूहों को मार्केट लिंकेज प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर समूहों के कम से कम 60 प्रतिशत सदस्यों द्वारा न्यूनतम 1100 रूपये प्रति माह आय अर्जन कराने की स्थिति तक लाने एवं कलस्टर विकसित करने पर।

9. उक्तानुसार निर्धारित चरणबद्ध समय सीमा में कार्य नही किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार कुल भुगतान योग्य राशि में से कटौती की जायेगी किन्तु विभागाध्यक्ष स्वविवेक से उक्त निर्धारित चरणबद्ध समय सीमा में किसी भी समूह की विशेष परिस्थितियों के आधार पर समय सीमा में वृद्धि करने हेतु अधिकृत होगें।

- निर्धारित समय के एक माह बाद तक – 1 %
- निर्धारित समय के तीन माह बाद तक – 2.5 %
- निर्धारित समय के छः माह तक – 5 %
- निर्धारित समय के छः माह बाद – 10 %

- ○ निर्धारित समय के छः माह बाद – 10 %

10. यदि संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नही किया जाता है, तो बिन्दु संख्या–8(आठ) के अनुसार भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित संस्था से एक मुश्त वसूली की जावेगी।
11. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वाचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न आयुक्त, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा जो प्रथम पक्ष को भी मान्य होगा।
12. उक्त अनुबंध से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।

इसके साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक ..... को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुदानगृहीता के हस्ताक्षर प्रथम पक्ष मय सील

दिनांक –

1. साक्षी संख्या 1 .....
2. साक्षी संख्या 2 .....

राज्यपाल के लिये एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष मय सील

दिनांक –

1. साक्षी संख्या 1 .....
2. साक्षी संख्या 2 .....

प्रतिभूओं के हस्ताक्षर

1. (नाम व पूर्ण पता) : साक्षी–**I**
   साक्षी–**II**
2. (नाम व पूर्ण पता) : साक्षी–**I**
   साक्षी–**II**

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

जे–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर दूरभाष न. 01415196323

क्रमांक एफ 13 (1)WE / SHG / प्रियदर्शिनी / 12–13 1252 जयपुर, दिनांक 10-1-13

विज्ञप्ति

वर्ष 2012–13 में राज्य के निम्न जिलों में (बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, जौधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक, उदयपुर) दस महिला स्वयं सहायता समूहों को **प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूहों** के रूप में विकसित करने का कार्य **स्वयं सेवी संगठनों** (NGO) के माध्यम से कराया जाएगा। इस कार्य हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संगठनो को अपने आवेदन पत्र के साथ रूपये 500/– का डी.डी. जो कि आयुक्त महिला अधिकारिता जयपुर के नाम देय है को संलग्न कर निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 21.01.2013 सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत करने होंगे।

योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की बेवसाइट **www.wcd.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।

आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
महिला एंव बाल विकास विभाग

चैक लिस्ट

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहातया समूह योजनान्तर्गत प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने से पूर्व उपनिदेशक द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर संबंधित दस्तावेज संलग्न करे–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता वाली समिति की अभिशंषा / टिप्पणी
2. उपनिदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट
3. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति (कम से कम तीन वर्ष पूर्व का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए)
4. संस्था का विधान / नियमावली की फोटोप्रति
5. संस्था की गत तीन वर्षो की सी.ए.आडिट रिपोर्ट (आय व्यय प्रदत भुगतान एवं बैलेंस सीट)
6. प्रस्तावित प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम
7. संस्था की गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट
8. प्रशिक्षकों के बायोड़ाटा एवं प्रमाण–पत्र
9. संस्था का स्वयं का भवन होने पर साक्ष्य संलग्न करे
10. संस्था का भवन किराये पर होने की स्थिति में किराया नामा / बिजली का बिल
11. प्रशिक्षित समूह की 60% सदस्यों को न्यूनतम 1100 रू प्रति माह आयअर्जन तक ले जाने में संस्था की सक्षमता का प्रमाण–पत्र
12. संस्था के स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र, समूहों के क्षमता वर्द्वन प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन संबंधी कार्य का पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता तथा अन्य संबंधित दस्तावेज
13. संस्था से प्राप्त प्रस्ताव दो प्रतियों में होना चाहिए, जिनमें से एक प्रति निदेशालय को मय प्रमाणपत्रों / आवश्यक साक्ष्यों सहित भिवजाई जाए एवं एक प्रति उपनिदेशक कार्यालय में रखी जाए

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना हेतु आवेदन पत्र

1 संस्था का नाम ——————————————————

2 डाक का पूरा पता ——————————————————

——————————————————

3 दूरभाष/फैक्स नम्बर/ई–मेल ——————————————————

4 संस्था का वर्तमान कार्य क्षेत्र

5 संस्था जिस जिले में कार्य करना चाहती है, का नाम ——————————————————

6 संस्था के पदाधिकारियों के नाम ——————————————————

7 संस्था का पंजीयन क्रमांक व तारीख ——————————————————

8 संस्था के उद्देश्य (संलग्न करें) ——————————————————

9 खातों के लेखा परीक्षित विवरण (गत तीन वर्ष का संलग्न करें) ——————————————————

10 संस्था का कार्य अनुभव (स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र, समूहों के क्षमता वर्द्धन प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन संबंधी कार्य का पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता तथा अन्य संबंधित दस्तावेज)

——————————————————

——————————————————

10 अभ्युक्ति (क्या संस्था पहले से राज्य सरकार अथवा अन्य योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त कर रही है। यदि हां तो विवरण दे)

——————————————————

——————————————————

11 अन्य विवरण ——————————————————

संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम .....

पद.....